

पंजाब में बरामद का ना जन

9844. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत दो वर्षों में कितना काला धन बरामद किया गया,

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को विशद् कार्यवाही की गई, और

(ग) इम अवधि में कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और कितनों को दंड मिला ?

वित्त मंत्रालय में रात्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान पटियाला तथा अमृतसर से आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में आय कर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों के समय पकड़ी गई परिस्थितियों का मूल्य निम्नानुसार है :

1972-73	1973-74
रु०	रु०
3,24,725/-	10,35,131/-

(ख) जिन 15 मामलों में मृत्यवान परिस्थितिया पकड़ी गई थी, उनमें से 14 मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 (5) के अधीन संक्षिप्त आदेश पास किया गया है। यह बताया गया है कि सभी मामलों में नियमित करनष्टरिण अनिर्णीत पड़े हैं।

(ग) पटियाला और अमृतसर में आयु के अधिकार-क्षेत्रों में 1972-73 और 1973-74 के दौरान जिन व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही की गई

तथा जिन्हे अपराधी ठहराया गया है, उनकी संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

1972-73 73-74

इस्तगासे की कार्यवाही की गई . . .	2	14
अपराधी ठहराया गया	1	1

रूप को किया गया निर्धारण

9845. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रूप को देशी वस्तुओं के निर्धारण के ममवन्ध में सराहा की भावी पंजाना और नीति क्या है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1974-75 के अनुमान वित्तने रूपये की वस्तुओं का निर्धारण किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सौ० जगें) : (क) संविधन सभा को भागतीय वस्तुएँ निर्धारण बनाने के लिए दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक व्यापार मलखां में व्यवस्थाएँ की जाती हैं। ये मलखा 1971-75 के लिये इंधारोंवाध यंजना की रूपरेखा के अन्तर्गत नैयार किये जाते हैं। दोनों देशों के बीच न्यापार द्विदीय तथा सन्तुरित आधार पर तथा जाना है। वाणिज्यिक तथा गैरवाणीय उत्कर्ष के सभी भूगत्तन अपरिवर्तनीय भागतीय वस्तुओं में किये जाते हैं। नीति का उद्देश्य दोनों के बीच व्यापार बढ़ाना नहीं। उने विविध रूपा बनाना है। इसका नात्य सीधीय सभा को भागतीय वस्तुओं, विनेश्वत गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्धारण की मत्ता बढ़ाना है।

(ख) यह अनुमान है कि कलेष्टर वर्ष 1974 के दौरान सीधीय सभा को 315 रु० ३२ रु० ०० मूल्य का माल नियमित किया जाएगा।